

1975 का आपातकाल और उसका प्रभाव

प्रलम्बित के लिये:

संवैधानिक तंत्र का वफिल होना, [राष्ट्रीय आपातकाल](#), [संवैधानिक आपातकाल](#), वित्तीय आपातकाल ।

मेन्स के लिये:

[भारतीय संविधान](#), आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के प्रकार

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [प्रधानमंत्री](#) ने उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने 1975 के [राष्ट्रीय आपातकाल](#) का वरिध कथित था ।

- 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगांठ थी ।

आपातकाल क्या है?

- परिचय:**
 - यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों, जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है ।
- संवैधानिक प्रावधान:**
 - ये प्रावधान [संविधान के भाग XVIII](#) के अंतर्गत [अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360](#) में उल्लिखित हैं ।
 - भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान [जर्मनी के वीमर संविधान](#) से प्रेरित हैं ।

अनुच्छेद	वर्षिय - वस्तु
अनुच्छेद 352	आपातकाल की घोषणा
अनुच्छेद 353	आपातकाल की घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 354	आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग
अनुच्छेद 355	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य
अनुच्छेद 356	राज्यों में संवैधानिक तंत्र की वफिलता की स्थिति में प्रावधान
अनुच्छेद 357	अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 358	आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का नलिंबन
अनुच्छेद 359	आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का नलिंबन
अनुच्छेद 360	वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान

- अभिराय:**
 - ये प्रावधान आमतौर पर कार्यकारी शाखा को मानक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने, कुछ अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सीमित करने तथा ऐसी नीतियों को लागू करने का अस्थायी अधिकार देते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं ।

भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रकार क्या हैं?

■ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) से खतरे में है।
 - 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया।
- घोषणापत्र कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को निलंबित करने के लिये व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है।

■ अवधि और संसदीय अनुमोदन:

- आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
 - तथापि, यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है, जब लोक सभा को बना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उक्त घोषणा, लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्य सभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो।
- यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर छह महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
- आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।

■ उद्घोषणा का नरिसन:


- आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में एक घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिये अस्वीकृति प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा।

■ राष्ट्रीय आपातकाल की प्रयोज्यता:

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है।
 - 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया।

■ राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा:

- 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।
- 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: इसने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को नरिसूत कर दिया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बहाल हो गई।
- मनिरवा मलिस केस, 1980: इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुरभावनापूर्ण इरादे के आधार पर या यदि घोषणा बाहरी या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है।



परस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही कथिा जाना चाहयि ।

• अनुच्छेद 356 के संबंध में सफिररशि:

• पुंछी आयोग:

- इसने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सफिररशि की, जसिके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक ज़िले या ज़िले के कुछ हसिसों जैसे वशिषिट क्शेत्रों को राष्ट्रपति शासन के अंतरगत लाया जाना चाहयि ।
- उनहोंने यह भी सुझाव दयिा कऱैसे आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं चलने चाहयि ।

• सरकारयिा आयोग:

- अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के वधिटन को रोकने या सुधारने के लयि अंतमि उपाय है ।
- इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक वदिरोह, भौतिक टूट-फूट तथा केंद्र के संवैधानिक नरिदेशों का पालन न करने की स्थिति में ही कथिा जा सकता है ।
- राज्यपाल की रिपोर्ट एक 'भाषण दस्तावेज' होनी चाहयि तथा इसका व्यापक प्रचार कथिा जाना चाहयि ।
- राज्यपाल को वधिनसभा को भंग कथिा बना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सफिररशि करनी चाहयि ।

■ वत्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

- यह प्रावधान राष्ट्रपति को वत्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है, यदविह इस बात से संतुषुट हो कभिररत या उसके कसिी भाग की वत्तीय स्थरिता या ऋण को खतरा है ।
- वत्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहति सविलि सेवाओं में कार्यरत सभी या कसिी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती का नरिदेश दे सकता है ।
- केंद्र सरकार को राज्यों के वत्तीय संसाधनों पर भी नयित्रण प्राप्त हो जाता है, तथा उनके कुशल प्रबंधन के लयि नरिदेश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है ।
- वत्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदति कथिा जाना चाहयि । यदऱनुमोदति नहीं कथिा जाता है, तो उदघोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है । हालाँकि, ऐसी कसिी भी उदघोषणा को राष्ट्रपति द्वारा कसिी भी समय रद्द कथिा जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कथिा जा सकता है ।
- अन्य दो प्रकार की आपात स्थितियों के वपिरित, भारत में वर्तमान तक वत्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है ।

भारत ने कतिनी बार आपातकाल की घोषणा की?

■ भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है:

- **भारत-चीन युद्ध (1962):** वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध के दौरान "बाह्य आक्रमण" के कारण घोषति कथिा गया ।
- **भारत-पाक युद्ध (1971):** वर्ष 1971 में भारत-पाकस्तान युद्ध के दौरान "बाह्य आक्रमण" के आधार पर लगाया गया ।
- **(वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक):** तीसरा एवं सर्वाधिक वविदासुपद राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में घोषति कथिा गया था, जसिका मुख्य कारण आंतरिक राजनीतिक अशांति के बीच "आंतरिक अशांति" थी । इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं का नलिंबन देखा गया ।

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे?

■ संवैधानिक परिवर्तन:

- भारतीय संवैधान का (39वाँ संशोधन) अधनियिम, 1975 प्रधानमंत्री इंदरिा गांधी के चुनाव को शून्य घोषति करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नरिणय के प्रतुत्तर में अधनियिमति कथिा गया था ।
 - इस अधनियिम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष से जुड़े वविदों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दयिा तथा कुछ महत्त्वपूर्ण अधनियिमों को नौवीं अनुसूची में शामिल कर दयिा ।
- भारतीय संवैधान का (42वाँ संशोधन) अधनियिम, 1976 द्वारा नमिनलिखित को शामिल करके केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्ति में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की-
 - राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देकर तथा आपातकाल के दौरान राज्य के कानूनों को दरकनार करके केंद्र सरकार का नयित्रण में वृद्धि की गई ।
 - कानूनों एवं संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को सीमति कथिा, जसिसे वे न्यूनतम जवाबदेही सुनश्चिति की गई ।
 - संसद तथा राज्य वधिनसभाओं का कार्यकाल में वृद्धि की गई ।
 - राष्ट्र-वशिधी व्यवहार के मामलों में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले नयिमों को स्वीकार कथिा गया ।
- संवैधान का (44वाँ संशोधन) अधनियिम, 1978:
 - इसने 42वें संशोधन, 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थति करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास कथिा गया । प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं
 - अधिकारों के नलिंबन को सीमति करना: अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता को कसिी भी आपात स्थिति के दौरान नलिंबति नहीं कथिा जा सकता है ।
 - न्यायिक समीक्षा: राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सुदृढ़ कथिा गया ।
 - आपातकाल: अनुच्छेद 352 के अंतरगत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति के लयि मंत्रमिडल की लिखित सफिररशि पर कार्य करना अनविर्य कर दयिा ।

■ आपातकाल ने तानाशाही के वरिद्ध वैकसीन का कार्य कथिा:

- लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अनयित्रति कार्यकारी प्राधिकार के खतरों पर एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी के रूप में वर्ष 1975 से वर्ष

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रपरिषद के वरिद्ध अवशिवास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतरवषिट प्रतषिध अथवा नर्बिधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतषिध अथवा नर्बिधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के नर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नर्वाहन करते समय लयि गए नर्णियों को कर्सी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नर्मित वधियों से बाध्य नहीं होता।
- (c) देश में गंभीर वत्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बनिा वत्तीय आपात घोषति कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधिनमंडल, संघ वधिनमंडल की सहमति के बनिा वधि नर्मित नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

प्रश्न. यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधति अपनी शक्तियों का कर्सी वशिष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो (2018)

- (a) उस राज्य की वधिनसभा स्वतः भंग हो जाती है।
- (b) उस राज्य के वधिनमंडल की शक्तियों संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।
- (c) उस राज्य में अनुच्छेद 19 नर्लिंबति हो जाता है।
- (d) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधति वधियों बना सकता है।

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न. कनि परस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वत्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परणाम होते हैं? (2018)